दिनांक–18.03.2026 को निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दक्षिण बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   (1) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   (2) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (3) श्री निर्भय कुमार सिंह, अवर सचिव
   (4) श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। दक्षिण बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DDC या DPRO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

   I. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

   दक्षिण बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

   अद्यतन स्थिति तक पटना, नालंदा, नवादा, बक्सर, जहानाबाद, अरवल एवं मुंगेर जिलो में कुल लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विरूद्ध 70 प्रतिशत से भी कम उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि सभी DDC एवं DPRO अपने स्तर से विस्तृत समीक्षा कर तथा विशेष कैम्प आयोजित कर लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन करवायें।

   कैमुर, बांका एवं रोहतास जिलो द्वारा पूर्व में प्रेषित उपयोगिता प्रमाण–पत्र को दोबारा विभाग में भेजी गयी है, जिसके कारण विभाग को समायोजन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त जिलों के DPRO को निदेश दिया

कृ०पृ०उ०............

गया कि एक सप्ताह के अंदर इसकी जांच कराकर पुनः उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– दक्षिण बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

II. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण तथा क्रियाशीलता की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 54, LAEO के द्वारा 146 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 133 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु भागलपुर, बक्सर, गया जी, नालंदा, पटना एवं रोहतास जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर एक सप्ताह के अंदर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दक्षिण बिहार में कुल 1177 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 933 पंचायत सरकार भवन संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 72 में बैंक, 932 में RTPS केन्द्र, 366 में Post Office, 172 में NOFN, 312 में पुस्तकालय एवं 03 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक दक्षिण बिहार में तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 277 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 131 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति तथा 91 पंचायतों में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि मार्च माह के अंत तक सभी पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति देना सुनिश्चित किया जाए तथा जिन पंचायतों में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, उन पंचायतों मे निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

(अनुपालनः– दक्षिण बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क) मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के चतुर्थ चरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक दक्षिण बिहार के भागलपुर, अरवल, जमुई एवं मुंगेर जिलों में एक भी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। इस

पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में उक्त जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि एकरारनामा की शर्तो के अनुसार संबंधित एजेंसी पर Penalty लगाकर विभाग को सूचित करें। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए।

(ख) सभी चरणों को मिलाकर जमुई, भागलपुर, मुंगेर, नवादा, पटना, जहानाबाद एवं औरंगाबाद जिलों में कार्यादेश के विरूद्ध अधिष्ठापन का प्रतिशत काफी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में शेष सोलर स्ट्रीट लाईट को चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी को हस्तांतरित करते हुए दिनांक–31.03.2025 तक अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी DPRO यह सुनिश्चित करे कि CMS का dashboard उनके कार्यालय कक्ष में होना चाहिए। सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन के उपरान्त CMS पर प्रदर्शित लाईट ही एजेंसी की वास्तविक उपलब्धि मानी जाए। साथ ही समय–समय पर field inspection कराकर CMS पर प्रदर्शित आकड़ो का भी मिलान करा लिया जाए ताकि Data manipulation पर रोक लगाई जा सके।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक जमुई, भागलपुर, नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, पटना, रोहतास एवं भोजपुर जिलों में CMS Portal के अनुसार 72 घंटो से उपर Signal Loss एवं Faulty सोलर स्ट्रीट लाईट की संख्या अधिक है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से सभी पंचायत सचिवों को इसकी जाँच हेतु निदेशित करना सुनिश्चित करें तथा सभी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से CMS पर प्रदर्शित आकड़ो का मौजूदा तिथि के साथ मिलान करायें।

(ग) जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, नवादा, पटना, कैमुर, जहानाबाद, बांका एवं गया जी जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, नवादा, पटना, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, कैमुर, भागलपुर एवं जहानाबाद जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– दक्षिण बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार............

IV. षष्ठ्म राज्य वित्त आयोगअंतर्गत ली गयी योजनाओं के भुगतान की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	33.51%
02	पंचायत समिति	66.39%
03	ग्राम पंचायत	71.10%

नवादा, गया जी, नालन्दा, पटना एवं जहानाबाद जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एक माह के अंदर कम से कम 50% का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर इस वित्तीय बर्ष की समाप्ति तक प्राप्त राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें।

बक्सर, नवादा एवं नालंदा जिलों के जिला परिषद द्वारा पिछले एक माह में व्यय की राशि शून्य है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में उक्त जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर व्यय में वृद्धि हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– दक्षिण बिहार के संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषदएवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. दक्षिण बिहार के जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार का अद्यतन स्थिति :–

S.n	District Name	No. of CWJC	No. of MJC
01	Arwal	02	00
02	Aurangabad	18	01
03	Banka	04	01
04	Bhagalpur	04	00
05	Bhojpur	09	00
06	Buxar	03	00
07	Gaya ji	03	00
08	Jamui	09	00
09	Jehanabad	00	00
10	Kaimur	05	00
11	Lakhaisarai	03	00
12	Munger	05	00
13	Nalanda	11	00
14	Nawada	10	00
15	Patna	17	00

16	Rohtas	12	00
17	Sheikhpura	01	00
Total		**117**	**02**

निदेश दिया गया कि सभी लंबित MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः—दक्षिण बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. MoPR CPGRAMS, E- Compliance Dashboard एवं पंचायती राज विभाग अंतर्गत परिवाद की अद्यतन स्थितिः—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक दक्षिण बिहार में कुल 68 मामलें लंबित है, जिसमें से 50 मामलें 21 दिनों से अधिक लंबित है। विदित हो कि MoPR CPGRAMS से संबंधित मामलों का निष्पादन 21 दिनों के अंदर करना होता है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी विस्तृत समीक्षा कर एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाए।

पंचायती राज विभाग अंतर्गत परिवाद की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 117 परिवाद के विरूद्ध मात्र 50 मामलो में ही जिला से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। गया जी, पटना, औरंगाबाद, बांका एवं बक्सर जिलो में लंबित परिवादों की संख्या अधिक है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। कई बार यह पाया गया कि प्रतिवेदन के रूप में केवल संबंधित BPRO के रिपोर्ट को अग्रसारित कर दिया जाता है। निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन में BPRO के रिपोर्ट के साथ अपना मंतव्य भी संलग्न करना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही यह भी देखा गया है कि जिस प्रखंड के विरूद्ध परिवाद दायर होता है, उसी प्रखंड से जांच कराकर प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया जाता है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि आरोपित प्रखंड से जांच ना कराकर किसी आस—पास के प्रखंड या टीम गठित कर जांच कराते हुए प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगें।

E-dashboard से संबंधित जिलावार लंबित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक जिला को प्रेषित सभी 731 मामले लंबित है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी गहन समीक्षा कर नये सिरे से विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः—दक्षिण बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार............

VII. मोक्षधामः— सभी उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 31 मार्च, 2026 तक जिला स्तर पर सभी कार्यपालक सहायक तथा वार्ड पार्षद/ग्राम कचहरी सचिव को मोक्षधाम से संबंधित प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाय ताकि 01 अप्रैल, 2026 से ग्राम पंचायत स्तर पर मृत्यु के 24 घंटे के अन्दर मृत्यु प्रमाण—पत्र निर्गत किया जा सके।

(अनुपालनः—बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः—9प०/प्र0—08—802(खंड)/2016/4956/पं०रा० पटना, दिनांक 25/3/2026
प्रतिलिपिः—बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.3.26
(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः—9प०/प्र0—08—802(खंड)/2016/4956/पं०रा० पटना, दिनांक 25/3/2026
प्रतिलिपिः—सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.3.26
(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः—9प०/प्र0—08—802(खंड)/2016/4956/पं०रा० पटना, दिनांक 25/3/2026
प्रतिलिपिः—आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

24.3.26
(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव